भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
चेन्नै
(**Website:** www.rbi.org.in)

(केवल ई-निविदा)

निविदा दस्तावेज

भाग- 1

आरबीआई/चेन्नै/मासंप्रवि/11/22-23/ET/69

वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई चेन्नै में बैंक की आवासीय कॉलोनियों (रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स कोयम्बेडु और अण्णा नगर) में सुविधा प्रबंध सेवाएं (केयरटेकिंग एण्ड कैटरिंग) प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा

प्रस्तुति की नियत तारीख: **05 जून 2022 को अपराह्न 5.00 बजे से पूर्व**

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
चेन्नै

आरबीआई चेन्नै में बैंक की आवासीय कॉलोनियों (रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स कोयम्बेडु और अण्णा नगर) में सुविधा प्रबंध सेवाएं (केयरटेकिंग एण्ड कैटरिंग)

भारतीय रिज़र्व बैंक, आरबीआई चेन्नै में बैंक की आवासीय कॉलोनियों (रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स कोयम्बेडु और अण्णा नगर) में सुविधा प्रबंध सेवाएं (केयरटेकिंग एण्ड कैटरिंग) के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "टेंडर्स" लिंक देखें। टेंडरिंग एमएसटीसी लि. की ई-टेंडरिंग पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/) द्वारा की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों को टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उक्त वेबसाइट के ज़रिए एमएसटीसी लि. के साथ पंजीकृत करना होगा।

आवेदन करने के लिए इच्छुक एजेंसियों को पात्रता मानदंड के लिए टेंडर दस्तावेज़ का संदर्भ लेना होगा तथा अपेक्षित पात्रता रखने के संबंध में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बैंक को संतुष्ट करना होगा, इस प्रकार करने में असफल होने पर बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है।

बैंक न्यूनतम टेंडर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी टेंडर को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक के पास, बिना किसी कारण बताए सभी टेंडर्स को अस्वीकृत करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

टेंडर के संबंध में, भविष्य में जारी किए जाने वाले संशोधन/ शुद्धि-पत्र यदि कुछ हो, उन्हें केवल आरबीआई की वेबसाइट और उपरोक्तानुसार एमएसटीसी की वेबसाइट में ही अधिसूचित किए जाएंगे तथा उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
चेन्नै

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, एचआरएमडी, चेन्नै ने इच्छुक पार्टियों को परियोजना के संबंध में एक पृष्ठभूमि-परक जानकारी देने के लिए इस दस्तावेज को तैयार किया है।

इस सूचना का अभिप्राय परिपूर्ण जानकारी देना नहीं है। इच्छुक पार्टियों के लिए ज़रूरी है कि वे स्वयं पूछताछ कर लें और उत्तरदाताओं के लिए अपेक्षित है कि वे लिखित रूप में यह पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या परामर्शदाताओं के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना के संबंध में आगे बढ़ने या परियोजना के कन्फिगरेशन को बदलने, इस दस्तावेज में दर्शाई गई समय-सारणी को परिवर्तित करने या लागू प्रक्रम या प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में रुचि अभिव्यक्ति करने वाली किसी भी पार्टी पर आगे विचार न करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है। रुचि अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति अदा नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै

मानव संसाधन प्रबंध विभाग

आरबीआई चेन्नै में बैंक की आवासीय कॉलोनियों (रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स कोयम्बेडु और अण्णा नगर) में सुविधा प्रबंध सेवाएं (केयरटेकिंग एण्ड कैटरिंग)

अनुक्रमणिका

खंड / अनुबंध	ब्यौरे	पृष्ठ संख्या
	भाग 1	
खंड 1	टेंडर आमंत्रित करने की नोटीस	1 – 3
खंड 2	ई-प्रोक्यूरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश	4-7
खंड 6	करार की शर्तें	8-21

निविदा फार्म

स्थानः
दिनांकः

श्री एस. एम. एन. स्वामी
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लेसिस, राजाजी सालै
चेन्नै - 600001

प्रिय महोदय,

हमने इसके पश्चात वाले ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशनों और मात्राओं की अनुसूची की ध्यानपूर्वक जांच की और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य-स्थल देखकर एवं जांचकर तथा निविदा को प्रभावित करनेवाली तत्संबंधी अपेक्षित जानकारी प्राप्त किया। हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निविदा के भाग II में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के अंदर और करार की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों और लिखित अनुदेशों के अनुसार, निविदाकारों के लिए जारी सामान्य अनुदेशों और यहां निर्दिष्ट शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ, जो अन्य सभी मामलों में, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

(क.)	कार्यों का विवरण	आरबीआई चेन्नै में बैंक की आवासीय कॉलोनियों (रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स कोयम्बेडु और अण्णा नगर) में सुविधा प्रबंध सेवाएं (केयरटेकिंग एण्ड कैटरिंग)
(ख.)	कार्य का अनुमानित लागत	प्रति वर्ष ₹31,00,000/- (मात्र इकतीस लाख रुपये) जीएसटी सहित। (शुरुआत में 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 09 महीने के लिए और एजेंसी द्वारा संतोषजनक कार्यनिष्पादन और आरबीआई चेन्नै के विवेक के अधीन आगे दो साल तक यानी 31 मार्च 2025 (एक बार में एक वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।
(ग.)	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	भारतीय रिज़र्व बैंक, एचआरएमडी – आवंटन अनुभाग, चेन्नै के पक्ष में एनईएफटी द्वारा ₹62,000/- (मात्र बासठ हजार रुपये)
(घ.)	संविदा की विधिमान्यता अवधि	करार की शर्तों में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार शुरू में नौ महीने के लिए संविदा दी जानी है और उसके बाद 2 और वर्षों (एक बार में एक वर्ष) के लिए नवीनीकृत किया जाना है**,** बशर्ते कि बैंक के विवेक पर संशोधन के अधीन और वही फर्म को स्वीकार्य हो और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर हो।
(ङ.)	आरएमडी	रिटेंशन मनी @ 5% प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से वसूल किया जाना है, जब तक कि कुल वसूली राशि निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुबंध मूल्य के 5% तक नहीं हो जाती है।
(च.)	बयाना जमाराशि/ कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	कोट की गई राशि का 5% (केवल सफल एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रारूप – अनुबंध सी में प्रस्तुत की जानी है)

हम ₹62,000/- की राशि, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना जमा राशि के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के पक्ष मे एनईएफटी के ज़रिए जमा करने का वचन देते हैं।

2. हम इससे भी सहमत है कि निविदा का भाग 1 खोलने की दिनांक से हमारी निविदा 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृत करने के लिए वैध रहेगी और यह वैधता अवधि बैंक और हमारे बीच लिखित आपसी सहमति के बाद, निर्धारित अवधि के लिए बढाई जा सकती है।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं और इसके डिफ़ॉल्ट रूप में, निविदा में निहित शर्तों के अनुसार अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निर्धारित राशि भारतीय रिजर्व बैंक को जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक बिना कोई कारण बताए न्यूनतम बोली और किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तों एवं निबंधन और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रो-फॉर्मा में केवल वित्तीय बोली शामिल है।

दिनांक: .... माह वर्ष 2022 के .... वें दिन।

कृते एवं मेसर्स (कंपनी का नाम) की ओर से

(हस्ताक्षर – मुहर सहित)

नाम :
पदनाम :
स्थान :
दिनांक :

साक्षी:-

(1) नाम, पता और दिनांक के साथ हस्ताक्षर

(2) नाम, पता और दिनांक के साथ हस्ताक्षर

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, चेन्नै

खंड – 1

निविदा आमंत्रित करने की नोटीस (एनआईटी)

(केवल ई-खरीद के ज़रिए)

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

ए) विभाग का नाम	मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै
बी) ई-निविदा सं.	आरबीआई/चेन्नै/एचआरएमडी/11/22-23/ई टि/69
सी) ई-निविदा का नाम	अण्णा नगर, बेसंट नगर और सी.एच. रोड में स्थित बैंक की 03 आवासीय कॉलोनियों में हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)
डी) निविदा का माध्यम	ई-निविदा खरीद प्रणाली ऑनलाइन (www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से भाग 1 - तकनीकी बोली और भाग 2 – वित्तीय बोली)
ई) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए एनआईटी की उपलब्धता तारीख	13 मई 2022 को 17.00 बजे से
एफ) निविदा की अनुमानित मूल्य	प्रति वर्ष ₹31,00,000/- (मात्र इकतीस लाख रुपये) जीएसटी सहित। (शुरुआत में 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 09 महीने के लिए और एजेंसी द्वारा संतोषजनक कार्यनिष्पादन और आरबीआई चेन्नै के विवेक के अधीन आगे दो साल तक यानी 31 मार्च 2025 (एक बार में एक वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।
(जी) बयाना जमाराशि (ईएमडी)	भारतीय रिज़र्व बैंक, एचआरएमडी – आवंटन अनुभाग, चेन्नै के पक्ष में एनईएफटी द्वारा ₹62,000/- (मात्र बासठ हज़ार रुपये) लाभार्थी का नाम: एचआरएमडी – आवंटन, आरबीआई – चेन्नै लाभार्थी खाता नंबर: 186003001 आईएफएससी: RBIS0CNPA01 (5th और 10th digit is Zero)

	ईएमडी अदा करने संबंधी साक्ष्य को एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड की जानी है। बोली लगाने वालों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे ई-मेल आईडी: allotmentchennai@rbi.org.in पर ईएमडी अदा करने संबंधी साक्ष्य को लेन-देन नंबर (स्कैन प्रति) भेजें।
(एच) ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	05 जून 2022 को 17:00 बजे
(आई) (www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली लगाने की प्रारंभ तारीख	26 मई 2022 को 11:00 बजे
(जे) ऑनलाइन ई-टेंडर के लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली की प्रस्तुति की अंतिम तारीख	05 जून 2022 को 17:00 बजे
(के) भाग - 1 (यानी तकनीकी बोली) खोलने की तारीख और समय भाग - 2 (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख	06 जून 2022 को 12.00 बजे भाग - 2 (वित्तीय बोली) इलेक्ट्रानिक रूप से केवल उन बोलीकर्ताओं की खोली जाएगी जिनका भाग – 1 (तकनीकी बोली) आरबीआई, चेन्नै द्वारा उपयुक्त पायी गयी। ऐसे बोलीकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए विधिमान्य ई-मेल आईडी के ज़रिए भाग-2 (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख संबंधी सूचना दी जाएगी।
(आई) बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	इच्छुक बोलीकर्ताओं को निविदा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी, जिन्होंने इसे बैंक के प्रामाणिक स्रोत से हल करने का विकल्प चुना है। बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय: 24 मई 2022 को 11:30 बजे बोली-पूर्व बैठक का स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, सम्मेलन कक्ष नंबर 1, दूसरी मंजिल, फोर्ट ग्लेसिस, राजाजी सालै, ब्रॉडवे, चेन्नै 600001. अस्वीकरण: केवल बोली-पूर्व बैठक में भागीदारी संविदा प्रदान करने की गारंटी नहीं देगी और यह निविदा में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन है। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेना केवल स्वैच्छिक है और इसमें भाग लेने की सभी व्यवस्था इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा की जानी चाहिए।

	बोली-पूर्व बैठक प्रामाणिक / अधिकृत बैंक स्रोत से संपूर्ण निविदा में किसी भी प्रावधान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए केवल एक मंच है और बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी शर्तों एवं निबंधनों को शिथिल करने के किसी भी दावे को हतोत्साहित करता है। बैठक की तिथि और समय परिवर्तन के अधीन बदल सकता है। बैंक यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेक से बोली-पूर्व बैठक को रद्द कर सकता है।

खंड 2

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले वे नीचे दी गई शर्तों और निबंधनों को पढ़ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया :

A) **पंजीकरण:** एमएसटीसी ई- प्रोक्यूरमेंट पोर्टल में निविदाकारों का पंजीकरण किए जाने की प्रक्रिया शामिल है जो कि निशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, निविदाकारों को अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के प्रस्तुतिकरण के लिए इलक्ट्रोनिक बोली लगाना इंटरनेट पर ही किया जाएगा। विक्रेताओं के पास श्रेणी ।।। साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोली लगाने के लिए निविदाकारों को अपनी तरफ से इंटरनेट सुविधा युक्त कंप्यूटर की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एमएसटीसी उत्तरदाई नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर की बोलियों को रिकार्ड नहीं की जाएंगी।)

विशेष नोटः तकनीकी बोली ऑनलाइन माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में ही प्रस्तुत करें।

विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com→ e- Procurement →PSU/Govt depts→ Select RBI Logo→Register as Vendor → Filling up details and creating own user id and password→ Submit पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पंजीकरण फार्म भरते समय दिए गए ई-मेल आईडी पर विक्रेताओं को पंजीकरण संबंधी पुष्टि की सूचना देते हुए सिस्टम जनित मेल प्राप्त होगा।

किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के लिए (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) निविदाकार आरबीआई / एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई) :

1. श्री विनय राजीव पी (प्रबंधक – कार्मिक अधिकारी): 044 – 25399255
2. श्री राजेश बोनागिरी (सहायक प्रबंधक - आवंटन): 044 - 2539 9208

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड) :

1. श्री संतोष कुमार: 8884600700 /
2. ग्राहक हेल्प डेस्क: 095499 054101 / 02 / 03 / 04
3. श्री वी गणेश मूर्ति – 91766 16410 / **044 28285000**

   Google hangout ID- (for text chat) - mstceproc@gmail.com

B) सिस्टम आवश्यकताएं:

i) विंडोज़ 7 या उससे ऊपर का आपरेटिंग सिस्टम
ii) आईई-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउसर

iii) साइनिंग टाइप का डिजिटल हस्ताक्षर
iv) सिस्टम में नवीनतम अद्यतन किया गया JRE 8 (x86 Offline) सॉफ्टवेयर जिसे डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाए।

साइनर बॉक्स में DSC के प्रकटीकरण के लिए "Protected Mode" को डिस्बेल करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स करें -
• Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode If enabled- i.e, Remove the tick from the tick box mentioning "Enable Protected Mode".

अन्य सेंटिंग्सः
• Tools => Internet Options => General => Click on Settings under "browsing history / Delete Browsing History" => Temporary Internet Files => Activate "Every time I Visit the Webpage".

सभी active X controls और 'use pop up blocker' को डिसेबल करने के लिए Tools→Internet Options→ custom level (Please run IE settings from the page www.mstcecommerce.com once)

2. तकनीकी बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इलक्ट्रोनिक रूप में ही बोलियां खोली जाएंगी।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना संदिग्धार्थ के ऑनलाइन तकनीकी एवं वाणीज्यिक फार्मेट में ही प्रविष्टि की जानी चाहिए।

विक्रेता अतिरिक्त जानकारी के लिए, विक्रेता गाइड और https://www.mstcecommerce.com/eprochome/ पर उपलब्ध एफएक्यू का संदर्भ लें।

<u>एमएसटीसी लेन-देन शुल्क संबंधित विशेष नोटः</u>

4. विक्रेता लॉग-इन में "My Menu" लिंक के तहत दिए गए "Transaction Fee Payment" द्वारा विक्रेतागण, लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रापडाउन बॉक्स से निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता को या तो एनईएफटी अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एनईएफटी का चयन करने पर विक्रेता द्वारा फार्म भरे जाने पर एक चालान जनित होगा। विक्रेता चालान में प्रिंट किए गए ब्यौरे के अनुसार उसमें बिना परिवर्तन किए लेन-देन शुल्क का भुगतान कर करेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर विक्रेता को अपने क्रेडिट – डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग से भुगतान करने के प्रावधान उपलब्ध होगें। एमएसटीएस के पदनामित बैंक खाते में एकबार भुगतान जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्व प्राधिकृत हो जाएंगे और विक्रेता को सिस्टम जनित मेल की प्राप्ति होगी।

नोटः
(1) लेन-देन शुल्क अप्रतिदेय है।
(2) विक्रेता लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
(3) बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्य के समापन समय से पर्याप्त पहले अग्रिम रूप से लेन-देन शुल्क अदा करें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

5. निविदा संबंधी अंतिम निर्णय लिए जाने तक, निविदाओं / शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ अपना पंजीकरण कराते समय उनके द्वारा दी गई ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

6. एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा का एक्सेस नहीं किया जा सकता।

7. ई-निविदा में बोली लगाना:

ए) बयाना जमाराशि (ईएमडी) भारतीय रिज़र्व बैंक के खाते में .... मई 2022 को शाम 5.00 बजे तक या उससे अदा की जाएगी। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण निम्नानुसार हैं-

लाभार्थी का नाम: HRMD-Allotment, RBI-CHENNAI
आईएफएससी: RBIS0CNPA01 (Fifth and tenth digits are "zero" and not the English letter "o")
खाता संख्या: 186003001

लेन-देन नंबर (स्कैन प्रति) के साथ अदायगी का प्रमाण एमएसटीसी वेबसाइट में संलग्न / अपलोड किया जाएगा। **बोलीकर्ताओं को लेन-देन संख्या (स्कैन प्रति) के साथ अदायगी का प्रमाण भी allotmentchennai@rbi.org.in पर भेजने के लिए सूचित किया जाता है।**

बी) विक्रेता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने हेतु पात्र होने के लिए आवश्यक बयाना जमा, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-प्रतिदेय हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) की ईएमडी, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।

सी) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया शामिल है।

डी) विक्रेता (ओं), जिन्होंने लेन-देन शुल्क जमा किया है केवल वे ही एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement →PSU/Govtdepts→ Login under RBI→ My menu→ Auction Floor Manager→ live event →Selection of the live event. पर अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

ई) विक्रेता को जावा एप्लिकेशन की रनिंग करना चाहिए। बोली फ्लोर के शुरू होने के तुरंत बाद ही यह कार्य किया जाना है। उसके बाद उन्हें सामान्य शर्तें / वाणिज्यिक विनिर्देशन भर कर उन्हें सेव करना होगा। इसके बाद वे तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लीकेशन रन नहीं करता तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सेव / प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।

एफ) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को उसकी रिकॉर्डिंग के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार ऐसे करने पर वाणिज्यिक बोली लिंक एक्टिव हो जाता है और विवरण भर दिया जाता है तो विक्रेता को अपनी वाणिज्कि बोली को रिकार्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली को सेव करने के बाद, विक्रेता को बोलियां पंजीकृत करने के लिए "फाइनल सबमिशन" पर क्लिक करना होगा।

जी) विक्रेता को दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए Attach Doc button का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक से अधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

एच) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोलियां जमा करने के समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

आई) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता पूरी तरह से एक दूसरे से और हर किसी के लिए भी अज्ञात रहेंगे।
जे) ई-निविदा फ्लोर, पूर्व घोषित तारीख और समय से और ऊपर वर्णित अवधि के लिए खुला रहेगा।

के) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उन विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति खरीदार और विक्रेता के बीच आपूर्ति के निष्पादन के लिए बाध्यकारी संविदा तैयार करेगी।

एल) सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जानी अनिवार्य हैं अन्यथा सिस्टम द्वारा इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एम) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए, निविदा को पूर्णत: या आंशिक रूप से रद्द या अस्वीकृत या स्वीकृत करने या वापस लेने या अवधि विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित है।

एन) निविदा दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधनों में किसी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली जमा करना निविदा की शर्तों एवं निबंधनों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ओ) इस निविदा के परिणामस्वरूप निकलने वाले कोई भी आदेश, उसमें उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों द्वारा शासित होगा।

पी) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को, बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली (यों) की प्राप्ति की निर्धारित तिथि में विस्तार करने का अधिकार है।

क्यू) विक्रेताओं से अनुरोध है कि बोली लगाने से पहले अपने आपको सिस्टम से परिचित करवाने के लिए निविदाकार गाइड को पढ़ लें और पृष्ठ www.mstcecommerce.com/eprochome में वीडियो देखें।

आर) तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तों एवं निबंधनों में कोई विचलन अनुमत नहीं होंगे।

खंड VI

करार की शर्तें

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुंबई में स्थित और और जिसका एक कार्यालय चेन्नै में स्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री एस.एम.एन. स्वामी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्लेसिस, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001 (इसमें इसके बाद इसे '**प्रधान नियोक्ता**' कहा गया है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में .... (स्वामित्व/ भागीदारी फर्म/ कंपनी/ एजेंसी), जो कि कंपनी अधिनियम (कंपनी के मामले में) के उपबंधों के अंतर्गत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय .... पर स्थित है (इसमें इसके बाद इसे '**संविदाकार**' कहा गया है) जिसका प्रतिनिधित्व श्री/ श्रीमती..........., जिसे उनके निदेशक मंडल द्वारा यह करार करने के लिए दूसरे पक्षकार के रूप में अधिकृत किया गया है, के बीच दिनांक.......... को किया गया।

और जबकि नियोक्ता रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स, एसएएफ गेम्स विलेज, कोयेंबेडु, चेन्नै में स्थित बैंक के विज़िटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और प्रशिक्षार्थी फ्लैट्स तथा अण्णा नगर, चेन्नै में वरिष्ठ अधिकारी विज़िटिंग ऑफिसर फ्लैट्स की केयरटेकिंग और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) के लिए एक ठेकेदार को नियुक्त करने के लिए इच्छुक है।

और जबकि नियोक्ता ने रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स, एसएएफ गेम्स विलेज, कोयंबेडु, चेन्नै में स्थित बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रेनी फ्लैट्स तथा अण्णानगर, चेन्नै में स्थित वरिष्ठ अधिकारी विज़िटिंग ऑफिसर फ्लैट्स की केयरटेकिंग और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की थीं, जिन्हें कार्य की व्याप्ति में और निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और जबकि संविदाकार और अन्य व्यक्तियों ने निविदाएं प्रस्तुत की थीं तथा नियोक्ता ने रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स, एसएएफ गेम्स विलेज, कोयंबेडु, चेन्नै में स्थित बैंक के विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रेनी फ्लैट्स तथा अण्णानगर, चेन्नै में स्थित वरिष्ठ अधिकारी विज़िटिंग ऑफिसर फ्लैट्स की केयरटेकिंग और हाउसकीपिंग (खानपान सहित) के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदाकार को संविदा प्रदान की है, जिन्हें कार्य की व्याप्ति में और निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और जबकि संविदाकार इसमें नियत शर्तों और संविदा की शर्तों में निर्धारित शर्तों तथा कार्य की व्याप्ति में विस्तार से दिए गए अनुसार और बाद में आपसी सहमति के अनुसार कार्य में कुछ जोड़ने/ घटाने के कारण कार्य में होने वाली वृद्धि/ कमी, प्रकट और निहित रूपों में मूल रूप से दोनों द्वारा सहमत किए गए अनुसार और नैसर्गिक रूप से एएमसी के स्वरूप से उत्पन्न होने वाली शर्तों (जिन सभी को इसके बाद सामूहिक रूप से उक्त "शर्तें" कहा गया है) के अनुसार काम को जो उपर्युक्त कार्य की व्याप्ति में वर्णित है उसे एएमसी में निर्धारित दर पर गणना पर या ऐसी अन्य देय राशि पर (इसके बाद इसे "उक्त संविदा राशि" कहा गया है) कार्य करने के लिए सहमत है।

क. अब एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमति हुई हैः

1. यह करार 01 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा और शुरुआती तौर पर उस स्थिति में 31 मार्च 2023 तक (आगे दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया जा सकता है (एक बार में एक वर्ष)) प्रभावी रहेगा जब तक इसमें इसके बाद बताई गई शर्तों के अनुसार इसे समाप्त नहीं किया जाता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

2. संविदाकार उक्त शर्तों/ एएमसी अवार्ड पत्र में उल्लिखित तरीके के अनुसार उपर्युक्त संविदा राशि के भुगतान करने के मद्देनज़र उक्त शर्तों के अधीन कार्य की व्याप्ति में वर्णित काम पूरा करेगा।

3. बैंक संविदाकार को कथित संविदा राशि कथित शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और तरीके से अदा करेगा।

4. आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी और वर्तमान में लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक स्रोत पर कर (टीडीएस) और अन्य किसी कानून के अंतर्गत लागू कटौती करेगा। संबंधित कानून में दिए गए अनुसार कटौती नहीं किए जाने के लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक द्वारा ऐसी कटौती किए जाने से पूर्व प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

5. प्रबंधक, एचआरएमडी, चेन्नै बैंक की ओर से प्राधिकृत प्राधिकारी हैं।

6. एएमसी प्रदान करने संबंधी पत्र, करार और यहां उल्लिखित दस्तावेज इस संविदा के आधारभूत घटक होंगे।

7. ₹__(______रुपये मात्र) के प्रभार के अंतर्गत हाउसकीपिंग और रखरखाव सेवाएं कारगर ढंग से देने के लिए प्रयुक्त मानवशक्ति और सामग्री शामिल है तथा इसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा बशर्ते बिल/ इन्वाइस प्रस्तुत किया जाता हो। उक्त भुगतान बैंक के अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र, कि सेवाएं संतोषजनक रूप से दी गई हैं, विधिवत जारी किए जाने के बाद किया जाएगा, जिस पर सांविधिक कटौतियां लागू होंगी।

8. उक्त प्रभार निश्चित है, जो कि श्रम संबंधी शर्तें, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव या अन्य किसी भी शर्त के अधीन है।

9. उक्त प्रभार में जीएसटी शामिल नहीं है, तथापि, उसमें ऐसी अन्य कर और शुल्क या लेवी शामिल है, जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार यार अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लगाया जाता है या भविष्य में लगाया जाएगा।

10. संविदाकार कार्य की व्याप्ति और संविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

11. संविदा को समान नियमों और शर्तों पर अधिकतम दो वर्षों के लिए आगे नवीकृत के लिए विचार किया जा सकेगा, बशर्ते बैंक को संविदाकार की सेवाएं संतोषजनक लगे और यदि बैंक ऐसा चाहता है। एएमसी के वार्षिक नवीकरण के दौरान, एएमसी राशि में अधिकतम अनुमेय वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के मद्देनज़र बैंक द्वारा किए गए निर्णय पर आधारित होगी।

ख. संविदाकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं:

1. उक्त शर्तों और यहां संलग्न पत्रों को इस करार के एक हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा तथा इसके दोनों पक्षकार इसका पालन करेंगे और वे उक्त शर्तों एवं इसके पत्रों में बताई गई बातों को पूरा करेंगे। साथ ही, वे उक्त शर्तों और उसमें निहित पत्रों के अनुसार अपने-अपने हिस्से के अनुसार करार का निष्पादन करेंगे।

2. यह संविदा एक निश्चित एकमुश्त संविदा है, जो निविदा (भाग II) की वित्तीय बोली में निहित दरों पर खंड VI में वर्णित विस्तृत कार्य की व्याप्ति के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए है।

3. संविदाकार बैंक के वीओएफ और ट्रेनी फ्लैटों में तैनात सभी कर्मियों की संपूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

4. संविदा दिए जाने के 15 दिनों के भीतर, संविदाकार को बैंक के परिसर में ड्यूटी के लिए नियुक्त करने से पहले नाम, आयु और स्थायी पते को शामिल करते हुए अपने सभी कार्मिकों का विवरण पासपोर्ट आकार की तस्वीर सहित प्रस्तुत करना है।

5. बैंक के परिसर में ड्यूटी के लिए नियुक्त करने से पहले अपने कार्मिकों के चरित्र और पूर्ववृत्तों की रिपोर्ट दर्शाने वाला पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र तथा आयु, नाम व स्थायी पते के अन्य विवरणों के साथ-साथ उनके पासपोर्ट आकार की तस्वीरें संविदाकार को प्राप्त करनी हैं ताकि उन्हें इस संविदा के तहत किया जा सके।

6. संविदाकार ऐसे प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों का तैनात किया जाना सुनिश्चित करेगा, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं (यानी अधिमानतः श्रमिकों और पर्यवेक्षक के मामले में 18 से 55 वर्ष तक की आयु के बीच) और जो ऐसी किसी भी दीर्घकालिक या संक्रामक बीमारियों से पीड़ित नहीं हैं जो काम को दक्षतापूर्वक पूरा करने में उनकी क्षमता को बाधित कर सकती हैं।

7. संविदाकार द्वारा तैनात सभी कामगारों या कर्मचारियों को संविदाकार के कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा और ऐसे कामगारों/ कर्मचारियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं होगा।

8. संविदाकार उन व्यक्तियों को वेतन, सांविधिक न्यूनतम मज़दूरी और अन्य कानूनी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा जो इस करार के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित हैं। संविदाकार सभी लागू कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा और कोई देयता उत्पन्न होने के मामले में बैंक को संविदाकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

9. संविदाकार अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों/ व्यक्तियों **को (चेक के माध्यम से या बैंक खाते में जमा करके) आगामी महीने के 10 दिनों के भीतर** मजदूरी/ वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और इस आशय का प्रमाण पत्र कि वेतन/ मजदूरी का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, प्रत्येक माह नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, संविदाकार इस आशय का प्रमाण-पत्र हर महीने प्रस्तुत करेगा कि विभिन्न श्रम कानूनों और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत सभी दायित्वों का अनुपालन किया जाता है। बैंक को संविदाकार द्वारा भुगतान की गई मजदूरी/ वेतन के ब्योरे को सत्यापित करने के लिए संविदाकार से बैंक विवरण मांगने का अधिकार होगा और उसे किसी ऐसे अन्य दस्तावेजों की मांग करने का भी अधिकार होगा जो श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के लिए संविदाकार द्वारा किए गए अनुपालन का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। बैंक में संविदा कार्य निष्पादित करने के लिए संविदाकार द्वारा तैनात किए गए श्रमिकों के लिए मजदूरी के विप्रेषण और उचित एजेंसी को पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई के सांविधिक अंशदान का प्रमाण, चयनित संविदाकार/ एजेंसी द्वारा हर महीने बैंक को दावा बिल के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा।

10. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के पास बीमा किया जाता है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य संविदा के निष्पादन के लिए बैंक में तैनाती के कारण किसी व्यक्ति या जानवर को चोट या अन्य वस्तुओं को क्षति होने पर उसके लिए संविदाकार पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

11. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी, बैंक के परिसर में रहते हुए या इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करते समय स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के संबंध में बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हैं और बैंक इस बात पर एकमात्र निर्णयकर्ता होगा कि संविदाकार और/ या उसके कर्मचारियों द्वारा उनका पालन किया जाता है कि नहीं।

12. संविदाकार व्यक्तिगत रूप से और अनन्य रूप से सभी कर्मचारियों के काम की निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत प्रदान की गई सेवाओं से बैंक पूरी तरह से संतुष्ट है।

13. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि संविदाकार का कोई भी कर्मचारी निर्दिष्ट समय सीमा को छोड़कर अन्य समय में बैंक परिसर में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या रहेगा जब तक कि संविदाकार के दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक न हो जाए, जिसके लिए बैंक का पूर्व अनुमोदन लिया गया हो।

14. संविदाकार उसके या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, गलती, चूक या लापरवाही के कारण बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भाग या किसी भी फिक्स्चर या फिटिंग या बैंक की किसी भी संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

15. संविदाकार इस संविदा के तहत कर्तव्यों का पालन करते समय उसके द्वारा विनियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में बैंक पर लगाए गए किसी भी दंड के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

16. संविदाकार निम्नलिखित के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में बीमा करवाएगा और उसे लागू रखेगा
    क. कार्य के निष्पादन से/ दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान/ व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा
    ख. कार्य के निष्पादन के दौरान संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार को हुए नुकसान/ क्षति से उत्पन्न दावा
    ग. लागू पीएफ/ श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा

17. संविदाकार उन सभी कर्मचारियों या एजेंटों को पहचान पत्र उपलब्ध कराएगा जो बैंक के परिसर में विषयगत काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी और एजेंट बैंक के परिसर में काम करते समय हर समय पहचान पत्र धारण करते हैं।

18. संविदाकार इस बात से सहमत है और यह वचन देता है कि वह इस करार के तहत दायित्वों का निष्पादन किए जाने उसके द्वारा नियुक्त/ काम पर लगाए गए सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट करेगा कि वे संविदाकार के कर्मचारी हैं और वे नियोक्ता, अर्थात बैंक से कोई दावा नहीं करेंगे। साथ ही, यह भी स्पष्ट करेंगा कि बैंक मज़दूरी, वेतन या संविदा के कार्यनिष्पादन के सिलसिले में किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने या श्रम कानून और/ या किसी अन्य कानून के तहत अन्य कोई सांविधिक लाभ उपलब्ध कराने के

लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अपने कर्मचारियों को संगत कानून/ नियमों/ सेवा की शर्तों के अंतर्गत ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा पूर्ण रूप से संविदाकार का होगा।

19. संविदाकार इस बात से सहमत है कि वह ऐसी सामग्री/ ब्रैंडों का उपयोग करेगा जो उत्तम गुणवत्ता की हों। संविदाकार द्वारा प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता की आवधिक आधार पर ऑडिट जांच कराने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

20. संविदाकार अपने कामगारों और सामग्रियों तथा पूरे किए गए कार्य की सुरक्षा के लिए तब तक अपनी ओर से व्यवस्था करेगा जब तक कि बैंक को इन्हें सुपुर्द नहीं किया जाता है।

21. संविदाकार तमिलनाडु राज्य सरकार के कानून या केंद्र सरकार के कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा, जैसा कि इस संविदा के अंतर्गत कवर की गई सेवाओं के मामले में लागू होता है।

22. संविदाकार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को कंपनी के लोगो युक्त वर्दी और पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया जाए।

23. संविदाकार बैंक के परिसर में तैनात कामगारों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बैंक की आवासीय कॉलनियों में अपना कार्य करते समय कोई संदेहास्पद वस्तु/ गतिविधि पाए जाने पर उसकी रिपोर्ट बैंक के सुरक्षा स्टाफ को तत्काल दे दें।

24. संविदाकार यह नोट करे कि बैंक के परिसर में धूम्रपान करना, शराब पीना, पान / तंबाकू चबाना पूरी तरह निषिद्ध है और बैंक के परिसर में तैनात कामगारों द्वारा इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

25. संविदाकार बैंक के परिसर और आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/ मानदंडों का पालन करेगा।

26. संविदाकार संविदा के बंद किए जाने/ की समाप्ति के बाद बैंक परिसर में उनके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को तुरंत हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक परिसर में किसी भी प्रकार का व्यवधान/ बाधा/ समस्या पैदा नहीं करते हैं।

27. संविदाकार और उसके कर्मचारी एचआरएमडी/ संपदा विभाग या बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किसी अन्य कर्मियों के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे और परिसर में दिन-प्रति-दिन के काम के लिए उनसे आवश्यक अनुदेश प्राप्त करेंगे।

ग. करार को समाप्त करना

1. बैंक बिना उपर्युक्त बातों प्रतिकूल प्रभाव डाले, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना और किसी भी मुआवजे का भुगतान किए बिना लिखित नोटिस द्वारा इस करार को उस स्थिति में तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि

   i. बैंक की राय में (जिस पर संविदाकार द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और जो कि संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा) संविदाकार इस करार को बैंक की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने से चूक जाता हो या इंकार करता हो और/ या

ii. संविदाकार इस करार के किसी भी निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करता है और/ या

iii. किसी भी कारण से, संविदाकार इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून की दृष्टि से निर्हकित हो जाता है और/ या

iv. संविदाकार या उसके कारोबार के स्वामित्व/ भागीदारी या प्रबंधन में बैंक के लिखित पूर्व-अनुमोदन के बिना परिवर्तन किया जाता है।

2. किसी भी कारण से इस करार को समाप्त किए जाने की स्थिति में, संविदाकार/ या उसके या उसके एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षतियों या अन्यथा के माध्यम से बैंक से कोई भी राशि प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होंगे।

3. इस संविदा में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, संविदा की किसी भी शर्त का अननुपालन, अवज्ञा, या उल्लंघन या संविदाकार द्वारा असंतोषजनक या अदक्ष तरीके से काम किए जाने की स्थिति में, नियोक्ता बिना कोई कारण बताए संविदाकार को लिखित रूप में एक माह का नोटिस देने के बाद इस संविदा को रद्द करने का संपूर्ण और स्वतंत्र प्राधिकार रखता है और यह संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा तथा संविदा नोटिस में बताई गई समय-अवधि के पूरे हो जाने पर तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उस स्थिति में संविदाकार किसी मुआवजे/ क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा और प्रतिभूति जमाराशि वापस नहीं की जाएगी।

4. संविदा को बंद किए जाने या संविदा की समाप्ति पर, संविदाकार बैंक परिसर को खाली कर देगा और बैंक से संबंधित सभी लेखों/ सामग्री/ संपत्ति को सौंप देगा या वापस कर देगा।

घ. स्टांप शुल्क: संविदाकार इस करार की मूल प्रति का स्टांप शुल्क वहन करेगा, जिसे दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल के पास मूल प्रति रहेगी और दूसरी प्रति संविदाकार के पास रहेगी।

ङ. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों को संबंधित कानून के अनुसार समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

च. संविदाकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/ संविधि के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के लिए सभी नुकसानों और दावों, क्षतियों या मुआवजे के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति रक्षा उपलब्ध कराता रहेगा। संविदाकार इससे संबंधित देयताओं, यदि कोई हों, के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

छ. इस करार के सभी हिस्सों को संविदाकार द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़कर पूरी तरह से समझा गया है।

ज. प्रकटीकरण संबंधी मानदंड: संविदाकार इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान संविदाकार को मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/ सिस्टम/ उपस्करों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा, चाहे इस संविदा की समाप्ति हो जाए या इस संविदा को बंद कर दिया जाए। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर संविदाकार इस संविदा के ब्योरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविदाकार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति

करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना संविदाकार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और बैंक हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने के बाद भी बना रहेगा।

झ. नियोक्ता इस करार के निबंधन व शर्तों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, इस संविदा की प्रचलित अवधि में संविदाकार को पत्र के माध्यम से सूचित करके कार्य की किसी मद या कार्य/ कार्यों के हिस्सों में परिवर्धन या लोप करते हुए कार्य के विनिर्देशों और कार्य के स्वरूप में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

संविदाकार सभी कार्यों को बैंक के अधिकारियों के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार दृढ़ता से पूरा करेगा। यदि बैंक के अधिकारियों की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप मामूली परिवर्तन किए जाने हैं और नियोक्ता के लिखित में पूर्व अनुमोदन के साथ, संविदाकार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

ञ. **सत्यनिष्ठा संबंधी वचन**: नियोक्ता यह वचन देता है कि वह ऐसा कोई लाभ की मांग नहीं करेगा या नहीं लेगा जो कानूनी तरीके से उपलब्ध नहीं है। नियोक्ता सभी बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से व्यवहार करेगा। बोली लगाने वाले यह वचन देते हैं कि वे मूल्यों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, अनुषंगी संविदाओं आदि के संबंध में अन्य बोली लगाने वालों को कोई लाभ नहीं देंगे या कोई समझौता करेंगे। बोली लगाने वाले अन्यों के साथ कारोबारी संबंध के एक हिस्से के रूप में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना साझा नहीं करेंगे और पीसी/ आईपीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे। बोली लगाने वालों को एजेंटों/ दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतानों का प्रकटीकरण करना होगा। बोली लगाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वह अन्य किसी कंपनी के साथ किए गए ऐसे अपराध का प्रकटन करे जो भ्रष्टाचार-रोधक सिद्धांत को बाधित कर सकता है। विदेशी बोली लगाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे भारत में उनके एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम व पते का प्रकटन करें तथा भारतीय बोली लगाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे अपने विदेशी प्रधानों या एसोसिएटों का प्रकटन करें।

ट. एजेंसी को भुगतान करना: एजेंसी हर महीने की समाप्ति के बाद बिल प्रस्तुत करेगी और भुगतान समर्थक दस्तावेजों सहित संपूर्ण बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा। एएमसी प्रभारों और रसदों (वेलकम किट, चाय/ कॉफी किट, पानी की बोतलें और समाचार पत्र आदि) की प्रतिपूर्ति के लिए बिल अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है। रसदों की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत बिल में स्वागत किटों, चाय/ कॉफी किटों, समाचार पत्रों, पानी की बोतलों आदि की संख्या को अलग से दर्शाया जाए। रसदों की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत बिल में स्वागत किटों, चाय/ कॉफी किटों, समाचार पत्रों, पानी की बोतलों आदि की संख्या अलग से दर्शाई जाए। उसके समर्थन में आगंतुकों की पावती, जिसे संबंधित कॉलोनी के केयरटेकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो, प्रस्तुत की जाए। बिल प्रस्तुत करने से पहले, एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि भुगतान बिल की अवधि में एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्तियों के लिए किया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान हेतु अनुरोध किए जाने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। एजेंसी इस संविदा की शर्तों में उल्लिखित प्रभारों के अलावा अन्य किसी भी शुल्क का दावा करने की हकदार नहीं है।

इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल चेन्नै में किए जाएंगे। इस करार से या उसके संबंध में पैदा होने वाले सभी विवादों को चेन्नै में पैदा हुआ माना जाएगा और इस पर निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र केवल चेन्नै में स्थित न्यायालयों के पास होगा।

संविदाकार उक्त शर्तों में उल्लिखित अवधि और तरीके से उपर्युक्त संविदा राशि के भुगतान के मद्देनज़र उक्त शर्तों के अधीन उपर्युक्त विनिर्देशों और मात्रा अनुसूची के अनुसार कार्यनिष्पादन करेगा और कार्य को पूरा करेगा।

उक्त शर्तों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा तथा इसके पक्षकार उपर्युक्त शर्तों में अपने-अपने हिस्से के लिए उल्लिखित बातों का पालन करेंगे और करार में बताए अनुसार कार्यनिष्पादन करेंगे।

ठ. संविदा आरबीआई द्वारा संविदा प्रदान करने की दिनांक से शुरू होगी और 09 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। बैंक के पास संविदा की अवधि को दो वर्ष (एक बार में एक वर्ष) तक की अवधि के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों या समान निबंधन और शर्तों पर विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई भी पक्ष लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों की सूचना देकर करार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। समय को इस संविदा का आवश्यक अंग माना जाएगा और संविदाकार एतद्द्वारा अनंतिम रूप से 01 जुलाई 2022 से कार्य शुरू करने और उक्त शर्तों के अनुसार औपचारिक कार्य आदेश जारी करने और निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने के लिए सहमत है।

ड. कोट की गई दरें वित्तीय बोली - निविदा के भाग ॥ पर आधारित होंगी और संविदा की अवधि के दौरान सांविधिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सांविधिक न्यूनतम मजदूरी में घोषित परिवर्तन, यदि कोई हो तो , सहित बिना किसी भी वृद्धि के स्थायी और बाध्यकारी होंगी।

ढ. एजेंसी बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/संगठन को उप संविदा पर नहीं देगी, हस्तांतरित नहीं करेगी या सौंपेगी।

ण. जोखिम खंड: किसी भी अन्य खंड में अन्य किसी बात के होते हुए भी, आरबीआई संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता के कारण या इसके दिवालिया होने या परिसमापन की स्थिति में संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एजेंसी की ओर से विफलता के बारे में आरबीआई का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा। यह समाप्ति 5 कार्य दिवसों के नोटिस पर की जा सकती है।

यदि किसी भी कारण से वीओएफ/टीएफ संचालन के किसी भी क्षेत्र में सेवा में कोई रूकावट/सेवा की कमी होती है, तो एजेंसी आरबीआई द्वारा तय की गई दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी। उमप्र/मप्र, एचआरएमडी, आरबीआई, चेन्नै का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी पूर्वाग्रह के एजेंसी के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम करवाने का अधिकार होगा। अतिरिक्त लागत, हानि, यदि आरबीआई द्वारा वहन की गई है, तो एजेंसी से वसूल की जाएगी। आरबीआई अपने विवेक से, संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय वीओएफ/टीएचएच को बंद कर सकता है।

आरबीआई रखरखाव किए जाने के लिए वीओएफ/टीएफ की संख्या बढ़ा सकता है जिसके लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती की आवश्यकता हो सकती है। देय राशि आपसी परामर्श के अनुसार तय की जाएगी।

त. **जुर्माना**:

संविदाकार बैंक के पदनामित कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक उपस्थिति रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक महीने के बिलों के साथ उसकी एक प्रति संलग्न करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। यदि संविदाकार का तैनात किया गया कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित रहता है और वह उसके स्थान पर उपयुक्त विकल्प प्रदान करने में असमर्थ है, तो बैंक द्वारा अनुपस्थित कर्मियों के वेतन के अतिरिक्त **रु500/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जुर्माना** लगाया जाएगा और इसकी कटौती संविदाकार के लंबित/बाद के बिलों से की जाएगी।

संविदाकार द्वारा निम्न संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति न करने पर लगाए जाने वाले दंड:

अ. शिकायत रजिस्टर में दर्ज की गई शिकायतें और 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई नहीं किया जाना

आ. बिना सफाई किए हुए कमरा आवंटित करना

इ. कुछ मदें उपलब्ध नहीं होना

ई. बैंक के स्थान का दुरुपयोग (शराब आदि का सेवन) / किसी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश

उ. सेवाएं प्रदान करने में देरी / गैर-कार्यनिष्पादन

ऊ. संविदाकार के कर्मचारियों द्वारा आईडी कार्ड और वर्दी दोनों का न पहनना

ऋ. एचआरएमडी, आरबीआई, चेन्नै की अनुमति के बिना आवंटी को अधिक अवधि के लिए रहने की अनुमति देना

ए. मकड़ी के जालों, पंखों और ट्यूबलाइटों, खिड़की के फ्रेम, शटर, वर्टिकल ब्लाइंड, दरवाजे आदि की सफाई न करना

ऐ. किसी भी आवंटी को कमरा आवंटित करने से पहले चादरें आदि बदले बिना कमरों का आवंटन करना

ओ. दैनिक सफाई, पोछा लगाना, झाडू लगाना, झाड़ने का काम आदि नहीं करना

औ. हाउस कीपिंग और रखरखाव सेवाओं से संबंधित कोई अन्य चूक (उपर्युक्त के अतिरिक्त)

ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार या अन्य किसी भी कारण से वीओएफ/टीएचएच परिचालन के किसी भी क्षेत्र में सेवा की कमी होने पर एजेंसी आरबीआई द्वारा तय की गई दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। उमप्र/मप्र, एचआरएमडी, आरबीआई, चेन्नै का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा

जुर्माना राशि के संविदा राशि के 10% तक पहुंचने की स्थिति में बैंक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और संविदाकार इस संबंध में जोखिम और लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। जुर्माने

की राशि को कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी या एजेंसी को देय किसी अन्य राशि को रद्द करके विनियोजित किया जाएगा।

बैंक संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर के स्थान पर बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनों को रख सकता है।

थ. बीमा:

सफल निविदाकार संविदा की अवधि के लिए काम पर लगाए गए श्रमिकों के लिए संविदा मूल्य और कामगार प्रतिकर पॉलिसी के लिए "सभी जोखिम शामिल पॉलिसी" लेगा। संविदाकार नियोक्ता के लिए उन सभी दावों के खिलाफ बीमा करवाएगा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा या अन्य किसी **तीसरी पार्टी** द्वारा कार्यों के संबंध में या कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं। संविदाकार किसी अनुमोदित कार्यालय से अपने स्वयं के खर्च पर एक बीमा पॉलिसी लेगा और संविदा के वास्तविक रूप से पूरा होने तक उसे बनाए रखेगा। संविदाकार ऐसे जोखिमों के लिए बीमा पॉलिसी नियोक्ता (प्रथम नाम) और संविदाकार के संयुक्त नामों में लेगा और इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियां जमा करेगा।

यदि बैंक द्वारा संविदा का नवीनीकरण किया जाता है तो सफल निविदाकार एक वर्ष के लिए काम पर लगाए गए श्रमिकों के लिए "**कामगार प्रतिकर पॉलिसी**" लेगा जो कि बाद में नवीकरणीय होगी। व्यक्तियों या भवन या किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए संविदाकार बैंक का बीमा करवाएगा। काम पर लगाए गए सभी कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा बीमा पॉलिसी भी न्यूनतम वेतन या प्रति कर्मचारी भुगतान किए गए वास्तविक वेतन के न्यूनतम कवरेज के साथ ली जाएगी। इसकी प्रतियां बैंक को जमा करनी होंगी।

संविदाकार उत्पन्न होने वाले ऐसे जोखिमों के लिए कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से आवश्यक बीमा कवर (कामगार प्रतिकर पॉलिसी), तीसरा पक्ष / सार्वजनिक देयता के लिए एजेंसी और संविदाकार के संयुक्त नामों में एक बीमा पॉलिसी लेगा (जिसमें एजेंसी का नाम पहले रखा जाएगा)। (कर्मचारी प्रतिकर पॉलिसी) के अंतर्गत न्यूनतम कवर संविदा की पूर्ति के लिए तैनात कामगार को भुगतान की गई मजदूरी की सीमा तक होगा।

तीसरे पक्ष/सार्वजनिक दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम कवर 2 लाख रुपये होगा।

संविदाकार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए और संपत्ति के सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो कि उसके द्वारा या उसके किसी नामित उप-संविदाकार के कर्मचारियों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हुई हैं, या चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही से उत्पन्न हुई हो , दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई है जो किसी भी तरह से संविदा के अंतर्गत कार्य को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। इस खंड में, अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को किसी भी तरह की क्षति, चाहे वह निकट में स्थित हो या सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुई किसी भी तरह की क्षति के साथ-साथ इमारतों और कार्यों को हुई सभी क्षतियां शामिल होंगी जो कि ठंड या मौसम की अन्य प्रतिकूलता के कारण हुई हों। संविदाकार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे सभी और किसी भी तरह की चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान के संबंध में और साथ ही सरकार के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप मुआवजे या नुकसान के किसी भी निर्णय के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा।

नोट: ये पॉलिसियां कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि संविदाकार इन पॉलिसियों को उपलब्ध नहीं करता है तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और संविदाकार के बिल से उसकी लागत वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

द. **संविदा करार पर हस्ताक्षर**: निविदाकारों के लिए सामान्य अनुदेश और इसके पहले संदर्भित निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न संविदा की शर्तें और तकनीकी विनिर्देशन, बाद में बैंक और निविदाकर्ता के बीच किया गया पत्राचार और प्रदान किया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ की जाने वाली अंतिम संविदा का आधार होगा।

निविदाकार इसके साथ संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए निबंधनों और शर्तों को पढ़ेगा और उसका प्रस्ताव उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगा। विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि से परिचित होने के आशय के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा करार के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करेगा। संविदा पर हस्ताक्षर के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और इस प्रकार निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार होगा, चाहे बाद में ऐसी कोई संविदा निष्पादित की गई हो या नहीं।

संविदाकार किसी अन्य को संविदा नहीं देगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को उप संविदा पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता संविदाकार को संविदा को रद्द करने के बारे में लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, जिसमें संविदाकार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के नियोक्ता के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिभूति जमाराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

ध. **भाषा**: सभी दस्तावेजों आदि सहित निविदा अंग्रेजी में होगी।

न. निविदा के भाग को स्वीकार करने का अधिकार: बैंक के पास निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निविदाकर्ता द्वारा कोट की गई समान कीमतों पर स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प. संविदाकार **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (अधिनियम)** के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

अ. एजेंसी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी । बैंक के आवासीय परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत निविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और निविदाकार उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

आ. एजेंसी के किसी व्यथित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

इ. यदि घटना में निविदाकार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो उस स्थिति प्रदान की जाने वाली किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी, उदाहरण के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

ई. कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न की रोकथाम और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

उ. एजेंसी बैंक परिसर में काम पर लगाए गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध करवाएगी।

फ. **अप्रत्याशित घटना**: यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय, दोनों में से किसी भी पक्ष को अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ता है जैसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, दैवी कृत्य आदि, जो किसी भी पक्ष को उसके दायित्वों को पूरा करने से रोकता है तो प्रभावित पक्ष ऐसी घटना के होने के बारे में दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के कार्य निष्पादन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। घटना के समाप्त होने या उसके कम होने के बाद संविदा के तहत दायित्वों को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के अंतर्गत किसी भी दायित्व का कार्यनिष्पादन रुक जाता है या पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से अधिक के लिए उसमें देरी हो जाती है, यदि कोई हो तो, या सात दिन की अवधि, दोनों में से जो भी अधिक हो, से अधिक होने के कारण, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर संविदा को समाप्त कर सकता है।

ब. निम्नलिखित में से किसी भी आकस्मिकता में संविदा को समाप्त समझा जाएगा: -

(i) संविदा की अवधि समाप्त होने या इस करार को समाप्त किए जाने पर

या

(ii) सेवा की अवधि के दौरान किसी भी समय नोटिस देने पर यदि संविदाकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक और सामान्य मानदंडों और सेवाओं के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं।

या

(iii) संविदाकार द्वारा संविदा के किसी भी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने पर ।

या

(iv) संविदा या उसके किसी भाग को या उससे या उसके अंतर्गत होने वाले किसी लाभ या हित को संविदाकार द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को पूर्ण रूप से या उसके किसी हिस्से को उप-संविदा पर देने पर।

या

(v) सक्षम न्यायालय द्वारा संविदाकार को दिवालिया घोषित किए जाने पर। ऊपर उल्लेख की गई स्थिति में संविदा को समाप्त किए जाने के लिए दी गई नोटिस अवधि के दौरान संविदाकार नोटिस अवधि की समाप्ति तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पहले की तरह करता रहेगा। संविदाकार का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आधार पर संविदा की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए किसी भी प्रकार का व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा न करे।

संविदाकार की मृत्यु, असक्षमता, दिवालियेपन या किसी अन्य कारण या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली अनिवार्यताओं की स्थिति में, संविदा की देनदारियों को बैंक जैसा उचित समझे वैसी निबंधन और शर्तों पर निम्नलिखित द्वारा वहन किया जाएगा नामतः

i) एकमात्र मालिक के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी

ii) कंपनी या फर्म जैसा भी मामला हो, के संबंध में अगले निदेशक / भागीदार।

बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और बैंक के पास मामले की परिस्थितियों के अनुसार जैसा बैंक उचित समझे मामले को निपटाने का अधिकार सुरक्षित है।

भ. किसी भी जांच, पूछताछ, विवाद या अपील के दौरान किसी भी पक्ष को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस करार के अंतर्गत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद / मतभेद की स्थिति में (उन मामलों को छोड़कर जिनके निर्णय विशेष रूप से करार के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं) उन्हें क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, चेन्नै द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।
मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है यदि उसका स्थानांतरण हो जाता है या वह अपना कार्यालय छोड़ रहा है या इस्तीफा दे रहा है या काम करने से इंकार कर रहा है या अपने काम की उपेक्षा कर रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, चेन्नै उसके स्थान पर करार की शर्तों के अनुसार एक और मध्यस्थ नियुक्त करेगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस स्तर से कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हकदार होगा जिस स्तर पर कार्य को उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।

मध्यस्थ आवश्यकतानुसार अंतरिम निर्णय और/ या निदेश दे सकता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के पूर्वोक्त प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी संशोधन को इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।

इस करार के उद्देश्य के लिए केवल चेन्नै के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा। आपसी सहमति से विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता तंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है।

हितों का टकराव: निविदाकारों के किसी हितों का टकराव नहीं होगा। नीचे उल्लिखित हितों का टकराव पाए जाने पर सभी निविदाकारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ए) दो अलग-अलग आवेदनों के निविदाकारों के मामले में साझा रूप से नियंत्रक शेयरधारकों का होना

(बी) निविदाकार (उनके कार्मिकों और उप-संविदादारों सहित) जिनके आरबीआई स्टाफ के ऐसे सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध हैं जो परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन्हें संविदा प्रदान नहीं की जाएगी।

घोषणा:

मैं/ हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि उपर्युक्त वार्षिक सेवाएं संविदा मुझे/हमें प्रदान की जाती है तो यह मुझ /हम पर बाध्यकारी होगा।

स्थानः निविदाकार	
दिनांक	**प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और सील**